The Opinion, Vol. 5, No. 10, July-December, 2016 **ISSN : 2277-9124**

उपेक्षित वृद्ध वर्ग : दशा एवं दिशा

संजय कुमार पटेल*

इस संसार का शाश्वत नियम है कि जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है और अधिक वर्ष तक जीवित रहता है वह वृद्ध अवश्य होता है। वृद्धावस्था बड़ी भयावह अवस्था है, कोई वृद्ध नही होना चाहता फिर भी होना पड़ता है क्योंकि यही शरीरधारियों को अपरिहार्य मृत्यु के निकट ले जाने की सीढ़ी है। वृद्धावस्था को ही देख कर महात्मा बुद्ध का मन उद्वेलित हो उठा था। मगध के राजपथ पर झुक कर चलती हुई एक वृद्ध को देख कर आचार्य चाणक्य ने मजाक में पूछा ''माता जी, आप झुककर इस राजपथ पर क्या खोज रही हैं? वृद्धा ने उत्तर दिया, 'ऐ मूर्ख क्या तू नहीं जानता कि मेरी जवानी रूपी मोती खो गई है?' युवावस्था का स्फूर्तिमान शरीर वृद्धावस्था में शिथिल हो जाता है, शरीर के अंगों की कार्यशीलता क्षीण हो जाती है, ऐसी अवस्था में मनुष्य को दूसरों पर आश्रित होना होना पड़ता है कुल मिलाकर वृद्धावस्था, शैशव के अरूणोदय का सांध्य काल है जो तिमिराच्छादित व भयावह है। आज विज्ञान बड़ी उन्नति कर चुका है, अग्नि, वायु व जल मनुष्य के आदेशों का पालन कर रहे हैं, मनुष्य आकाशचारी व अन्तरिक्षगामी हो चुका है पर अभी तक विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की है कि वह मनुष्य को अभिशप्त वृद्धावस्था से मुक्ति दिला सके।

आज के वैज्ञानिक युग में आयुर्विज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर है। इसने बीमारियों से लड़ने और मृत्यु को पीछे ढकेलने के गुण सीख लिए हैं। परिणामतः मनुष्य की औसत आयु में वृद्धि हो गयी है जिसके कारण वृद्धों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। एक अंग्रेज विचारक पाल वल्लाश ने उम्रदार (Aged) लोगों की बढ़ती संख्या की समस्या को उग्र भूचाल (Earth quake) की संज्ञा दी है। जिस अनुपात में वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही हैं ठीक उसी अनुपात में उनकी समस्या में भी वृद्धि हो रही हैं।

आज की अर्थप्रधान व उपभोक्तावादी संस्कृति में वृद्ध अपने को बड़ा दीन–हीन व असहाय समझ रहा है। सुख–भोग की महत्वाकांक्षा ने आज बेटों को बड़ा ही स्वार्थी व निर्दयी बना दिया है। यदि अधिक उम्र के बेटे अधिक धन बटोरने की अतृत्प अभिलाषा लिए हुए दिन–रात भाग दौड़ में व्यस्त हैं तो कम उम्र के बेटे टेलीविजन के रूपहले पर्दे पर धूम–धड़ाके वाला संगीत देखने में व्यस्त हैं, बूढ़े बाप के पास बैठने का उनके पास समय कहां है? कविवर विवेक भटनागर ने ठीक ही कहा है–

''डिस्को के बजते शोर में बेटों को क्या पता
बगल के कमरे में उनका बाप लगातार खाँसता''

आज के बेटों को बाप के स्वास्थ्य पर खर्च करने की अपेक्षा पाले गये कुत्ते के विस्कुट व अपने बच्चे की मंहगे विद्यालय में पढ़ाई करवाने पर खर्च करना अधिक अच्छा लगता है। प्रयाग के महाकुम्भ मेले में आधुनिक श्रवण कुमार के भी कारनामे दिखे जो तीर्थ कराने के बहाने अपने बूढ़े माँ–बाप को तीर्थराज प्रयाग की पावन नगरी में लाये तो, पर उन्हें भटकने और दर–दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गये। कई घरों में कानफाडू संगीत बजता रहता है और जब वृद्ध का बीमार व अशान्त मन शान्ति की अभिलाषा से इस संगीत को बन्द करने को कहता है तो उसे फटकार मिलती है। तिरस्कृत वृद्ध की अंतर्वेदना की चीख–पुकार सुनने वाला कोई नही है और वह तिरस्कृत तथा उपेक्षापूर्ण जीवन जीने को बाध्य है आज के नाभिकीय परिवार (Nucleus Family) में पति–पत्नी और बच्चों के अलावा बूढ़ों का कहीं स्थान नहीं है। कोई बाप इसलिए भी उपेक्षित रहता है क्योंकि उसके पास धन–सम्पत्ति व पेंशन आदि नहीं है तो काई बाप इसलिए प्राताड़ित किया जाता है कि उसके पास जो भी चल–अचल संपत्ति है वह सब बेटे के नाम कर दे। मुम्बई शहर के मालाबार हिल स्थित ग्रैंड पैराडाइज के आठवें तल पर

* शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, का0हि0वि0वि0, वाराणसी

रहने वाले दलाल दम्पत्ति–76 वर्षीय वामदेव तारा ने अपने फ्लैट से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके जेब से प्राप्त संक्षिप्त पत्र में लिखा था–''हम अपने बेटे और बहू की लगातार झिड़कियों और प्रताड़ना से तंग आकर अपना जीवन समाप्त कर रहे है'' वयोवृद्ध दलाल दम्पत्ति की साझा सम्पत्ति तीन करोड़ रूपये की आंकी गयी थी। ऐसे कई वृद्ध अपमान और तिरस्कार की जिन्दगी जीने को बाध्य हैं।

औद्योगीकरण और शहरीकरण के फलस्वरूप वृद्धों की मुसीबतों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। कुछ बेटे अपने बच्चों व पत्नी को लेकर शहर में आ बसते हैं और गांवों में तकलीफ की जिन्दगी जीने के लिए अपने बूढ़े माँ–बाप को छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि शहरों में निवास कर रहे समृद्ध परिवारों के वृद्ध–वृद्धाओं को भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। परिवार के लोग देर रात तक टी0वी0 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम देखते रहते हैं। सुबह जल्दी उठ नहीं सकते अतः कई घरों में वृद्ध लोगों को समय से चाय–नाश्ता भी नहीं मिल पाता। जिन परिवारों में एक से ज्यादा बहुएं हैं वे आपस में देखा–देखी करती हैं। बड़ी बहू सोचती है कि वृद्ध सास–ससुर की सेवा छोटी वाली करे, छोटी वाली सोचती है कि मंझली वाली करे नतीजा ये होता है कि इस देखा–देखी में कोई नहीं करती और वृद्ध लोग अन्दर से कुढ़ते रहते हैं। दिल्ली जैसे महानगरों में इन दिनों वृद्ध दम्पत्तियों की हत्या के मामले बड़े शोचनीय स्तर तक बढ़ गये हैं। बेटे अच्छी नौकरियों के चक्कर में अपना नाभिकीय परिवार लेकर बाहर चले जाते हैं और बंगलों में एकाकी जीवन जीने के लिए वृद्धों को छोड़ जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि या तो घरेलू नौकर या पड़ोसी का बेटा किसी दिन वृद्ध दम्पत्ति की हत्या कर सारा सामान लेकर चम्पत हो जाता है।

पीढ़ी अन्तराल (Generation Gap) का भी कुप्रभाव वृद्धों की मानसिक प्रताड़ना का कारण बनता है। वृद्ध लोग एक निर्मल सरिता की तरह होते हैं जिनके अन्दर का युवावस्था का विकार रूपी मल स्वच्छ हो चुका रहता है।, संसार की निस्सारता की अनुभूति उन्हें भली प्रकार हो चुकी रहती है और वे प्रायः धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में भी केबल टी0बी0 लगे रहते हैं, करीब पैंतालिस चैनलों पर विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं घर का वृद्ध सुबह–सुबह धार्मिक कार्यक्रम देखना चाहता हैं। मुरारी बापू या किसी अन्य का प्रवचन सुनना चाहता है। युवावर्ग के लड़के दलेर मेंहदी का शोर–शराबे वाला गीत सुनना चाहते है, अतः तुरन्त चैनल बदल दिया जाता है। और वृद्ध व्यक्ति मन मसोस कर रह जाता है, उसकी अन्तर्वेदना की अनुभूति युवा वर्ग नहीं करते। जब वृद्ध वर्ग उपेक्षा का पात्र बन जाता है तो उसमें थोड़ा चिड़–चिड़ापन आ जाता है तब घर वाले उससे और अधिक दूरी बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में वृद्ध जन अपने को बड़ा एकाकी व असहाय समझने लगते हैं।

वृद्धावस्था में न केवल शरीर व उसके विभिन्न अंग कमजोर हो जाते हैं बाल्कि उसका दिमाग भी क्षीण हो जाता है। उसे स्मृति भंग (अल्जीमर्स डिजीज)भी हो जाता है, वह तथ्यों को भूलने लगता है। स्मृति भंग रोग के शिकार वृद्धों की अपेक्षा वृद्धाएं अधिक होती है। यदि परिवार के लोग वृद्धों को समुचित आदर व स्नेह दे तो वे न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें। कई लोग ऊबकर वृद्धों को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, लेकिन उसका मन तो उपेक्षित होने के बावजूद भी परिवार वालों के मायापाश में बंधा रहता है, और वृद्धाश्रम में भी वह अपने को दुखी ही महसूस करता है।

कई गरीब माँ–बाप सारी मुसीबतें झेलकर बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, बेटा ऊँचे पद पर पहुंच जाता हैं, किसी हाय–हलो कहने वाली समृद्धकुल की आधुनिका से विवाह कर अच्छे बंगले में रहने लगता है, किन्तु जब इसके वृद्ध माँ–बाप अपने जर्जर शरीर पर चिर दारिद्रय की छाप लिए हुए बेटे के पास चैन से रहने के लिए जाते हैं तो वे उसे फूटी आंखो नहीं भाते। बहू–बेटे उन्हें छुपा कर रखते हैं किसी के सामने नहीं पड़ने देते। बंधन और उपेक्षा की जिन्दगी से ऊबकर बूढ़े माँ–पुनः अपने मूल निवास को लौट आते हैं और असहाय जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार लाखों वृद्ध और वृद्धाएं दुखी जीवन जीने के लिए बाध्य हैं।

भारतीय संस्कृति में वृद्धों के कल्याण की शिक्षा

हमारे पूर्वजों को इस बात की चिंता थी कि समाज में वृद्ध वर्ग उपेक्षित न हो वरन् उसे उचित सम्मान दिया जाय, अतः इसलिए उन्होंने कई आचरण संहिताएं बनायी और शास्त्रों में वृद्धों के प्रति कई नैतिक नियमों का उल्लेख भी किया। एक स्थान पर लिखा है–

''पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्व देवता'' अर्थात् पिता के प्रसन्न रहने पर सभी देवता प्रसन्न रहते हैं तो दूसरे स्थान पर लिखा है–

''पितुः अपि माता अधिका गर्भ धारण तोषणात्''

अर्थात् पिता से भी बड़ी माँ होती है जो गर्भ धारण से लेकर बड़े होने तक बेटे–बेटियों का लालन–पालन करती है इसी प्रकार जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है जिससे लोग अपने वृद्ध माता–पिता की उपेक्षा न करें और उन्हें उचित आदर–सम्मान देने के अतिरिक्त उनकी सेवा–सुश्रुषा करते रहें। बालकों और युवा वर्ग को वृद्धों की सेवा व सम्मान के लिए प्रेरित करते हुए कहा गया है–

''अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आर्युविद्यायशो बलम्।।''

अर्थात् वृद्धों का अभिवादन व उनकी सेवा करने वालों की आयु, विद्या यश और बल में वृद्धि होती है। वृद्ध लोग ज्ञान व अनुभव के आधार होते हैं, नई पीढ़ियां उनसे बहुत कुछ सीख कर सफल जीवन–यापन करने लायक बन सकती हैं, इसलिए सभा में उनकी उपस्थिति को आवश्यक बताया गया है। **''न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः''** अर्थात् वह सभा, सभा नहीं है जिसमें वृद्ध न हों। इस प्रकार प्राचीन भारतीय संस्कृति में वृद्धों को आदरणीय स्थान देने व उनका सम्मान तथा सेवा करने की शिक्षा दी गयी है। इस्लामी संस्कृति में भी जइफों (वृद्धों) को आदरणीय स्थान प्रदान किया गया है।

अंग्रेज विद्वान विलियम हैजलिट महोदय ने कहा है–

''By despising all that has preceded us,
We teach others to despise ourself ''

अर्थात् जो हमसे पहले हुए हैं उनको घृणा करके हम आने वाली पीढ़ी को यह सिखाते हैं कि वे भी हमें घृणा करें।

लोगों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, यदि वर्तमान पीढ़ी अपने बूढ़े माँ–बाप की सेवा व सम्मान करेगी तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी हम लोगों के बूढ़े होने पर हमारा सम्मान करेंगी।

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा वृद्ध–कल्याण का प्रयास

वृद्धावस्था को अब विश्व स्तर पर एक सामाजिक, आर्थिक व मानवीय मुद्दा माना जाने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के तीसरे वर्ष ही सन् 1947 ई0 में अर्जेन्टाइना की पहल पर वृद्धावस्था की समस्याओं पर विचार किया। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक समिति (United Nations Economic and Social Council: UNESCO) ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा किया। 1982 में आस्ट्रिया की राजधानी विएना में वृद्धावस्था के बारे में एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वृद्धावस्था के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना को मंजूरी दी जिसे विएना कार्य–योजना (Vienna Action Plan) के नाम से जाना जाता है। विश्व स्तर पर वृद्धों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 1999 को वृद्धों के सम्मान में अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष (International Year For The Aged) घोषित किया। हमारे देश ने भी सन् 2000 को राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में घोषित किया। इस प्रकार राष्ट्र संघ भी वृद्धों के कल्याण के लिए कृत संकल्प हो गया है।

भारतवर्ष में वृद्धों के लिए कल्याणकारी उपाय

हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) है, अतः सभी नागरिकों के कल्याण का उपाय करना इसका नैतिक उत्तरदायित्व है। हमारे संविधान के भाग चार में राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांत को दर्शाया गया है। अनुच्छेद–41 में कहा गया है कि राज्य वृद्धों के कल्याण की व्यवस्था करेगा। चूंकि राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांत मात्र निर्देश ही हैं, वे अवश्य पालनीय आदेश (Mandate) नहीं हैं अतः उनके अनुपालन के लिए राज्य पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इनका अनुपालन

सर्वथा राज्य की सदिच्छा पर निर्भर करता है। यही कारण है कि अब तक जो भी कल्याणकारी योजनाएं बनायी गयी हैं उनमें वृद्धों की ओर सबसे कम ध्यान दिया गया है। गोद लेने और भरण–पोषण संबंधी 1956 के कानून में वृद्धों के लिए विधिक रूप से संरक्षण की व्यवस्था की गयी है। आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े बेटों व बेटियों से अपने माता–पिता को धन देने की बात कही गयी है। कल्याण मंत्रालय देश में वृद्धों के कल्याण के लिए उत्तरदायी है। सरकार ने जनवरी 1999 में वृद्ध जनों के बारे में राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी। इसमें सरकारी संस्थाओं व गैर सरकारी अभिकरणों (Agencies) के बीच अंतर्क्षेत्रीय सहयोग तथा सहभागिता का ढांचा उपलब्ध कराया गया है। इस नीति के तहत सरकार हस्तक्षेप के अनेक क्षेत्रों, जैसे वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार, आवास, कल्याण, जान–माल की सुरक्षा और जन–संचार माध्यमों की भूमिका की पहचान कर ली गयी है।

वृद्धों के बारे में बनायी गयी राष्ट्रीय नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु मई 1999 में 'राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद' की स्थापना की गयी और इस परिषद को पूर्वोक्त नीति को कार्यान्वित करने का उत्तरादायित्व सौंपा गया। परिषद में देश भर से कुल 39 सदस्य लिए गये हैं जिनमें सात सदस्यों का एक कार्यदल भी शामिल है। परिषद वृद्धों की शिकायतों व तकलीफों की सुनवाई करती है और उनके सुझावों पर भी घ्यान देती है। 'एजवेल फाउन्डेशन' (Agewel Foundation) वृद्धजन परिषद से तालमेल रखती है।

तिरूपति के श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के जनसंख्या अध्ययन विभान के प्रमुख कुट्टन महादेवन के अनुसार बुजुर्गो की उपेक्षा जनांकिक (Demographic) तथा सामाजिक व आर्थिक बदलाव का सीधा नतीजा है। भावी वृद्धों को वृद्धावस्था की त्रासदी से बचाने के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने 'ओएसिस' (Old Age Social and Income Security : OASIS) नामक एक परियोजना आरम्भ की है जिसका अर्थ है– वृद्धावस्था में सामाजिक और आमदनी संबंधी सुरक्षा। यह परियोजना सरकार को ऐसे ठोस उपाय सुझाने के उद्देश्य से शुरू की गयी थी जिनसे हर नौजवान कामगार अपनी कामकाजी जिन्दगी में इतनी बचत कर ले जिससे बुढ़ापे में उसे गरीबी का मुंह न देखना पड़े और राज्य का बोझ भी हल्का हो। 'ओएसिस की अंतिम रिपोर्ट सरकार के पास विचाराधीन है।

वृद्धजनों की त्रासदी को अन्ततः सरकार ने समझ लिया है। समाज कल्याण मंत्रालय की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गयी है। यह पेंशन ऐसे बेसहारा लोगों को दी जाती है जिनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। केन्द्र की योजना के अतिरिक्त कई राज्य भी अपनी पेंशन योजनाएं चला रहे हैं। इनके अन्तर्गत उन बुजुर्गो को पेंशन दी जाती है जिन्हें केन्द्र की ओर से पेंशन नहीं मिलती। वृद्धों की सहायता के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने **'अन्नपूर्णा'** योजना लागू की थी। इस योजना के अन्तर्गत बेसहारा बुजुर्गों को हर महीने 10 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। ऐसे वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन के पात्र के पात्र हैं मगर जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है वे अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत राशन प्राप्त करने के पात्र हैं।

केन्द्र सरकार के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों की मंहगाई राहत की दरों में संशोधन किया गया हैं हाल ही में परिवार पेंशन (Family Pension) की राशि को भी बढ़ा दिया गया है।

आयकर अधिनियम की धारा 88-B, 88-D और 88-DDB के तहत वृद्ध नागरिकों को आयकर में रियायत दी जाती है।

भारतीय जीवन बीमा निगम भी अपनी बचत योजनाओं के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

(क) 'जीवन धारा योजना' के तहत स्वरोजगार में लगे लोगों को पेंशन दी जाती है, जब ये लोग वृद्धावस्था के कारण कमाने की स्थिति में नहीं रहते तो इन्हें इस योजना का फायदा मिलता है।

(ख) 'जीवन–अक्षय योजना' के तहत जीवन पर्यन्त पेंशन के साथ–साथ एक मुश्त लाभ देने की भी व्यवस्था है।

(ग) 'वरिष्ठ नागरिक यूनिट योजना' के अन्तर्गत उम्र के अनुसार एक निश्चित राशि जमा करनी होती है और 58 वर्ष पूरे होने पर अपने तथा अपने जीवन साथी के लिए चुने हुए अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाती है।

(घ) चिकित्सा सुविधा नाम की चिकित्सा बीमा योजना 5 से 75 वर्ष की उम्र के सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। इसके अंतर्गत 'बीमा अवधि में किसी भी बीमारी या चोट के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने का व्यय दिया जाता है।

रेलवे 65 वर्ष से अधिक उम्र से सभी वृद्ध नागरिकों को राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस समेत सभी रेलगाड़ियों के सभी दर्जों के किराये में 30 प्रतिशत की रियायत देती है। वृद्धों द्वारा मांगने पर निचली शायिका (Berth) देने का भी प्रावधान है। इण्डियन एयरलाइन्स 65 वर्ष से अधिक वय के सभी वृद्धों को अपनी सभी घरेलू उड़ानों में 50 प्रतिशन की छूट देती है।

दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 125 के तहत (शिकायत किए जाने पर) प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट सक्षम बेटे को अपने माता–पिता का भरण–पोषण करने का आदेश दे सकता है।

गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

वृद्धों के बारे में राष्ट्रीय नीति में यह बात स्वीकार की गयी है कि गैर–सरकारी संगठन वृद्धजनों के कल्याण के सरकार के प्रयासों में पूरक की भूमिका निभाएंगे। देश में अनेक ऐसे संगठन वृद्धजनों के कल्याण हेतु सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इनमें **'हेल्प एज इंडिया'**की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। गैर सरकारी संगठन ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में कार्यरत हैं और स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के रूप में कार्य कर रहे हैं। वृद्धों को मूल रूप से तीन चीजों : वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ये संगठन किसी न किसी रूप में दोनों क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 'हेल्प एज इंडिया' यह कार्य अपनी 220 परियोजनाओं के माध्यम से कर रही है। इन परियोजनाओं में पशुपालन, लघु उद्योग, वृक्षारोपण, साग–सब्जी उत्पादन, चारा उत्पादन, मोमबत्ती और लिफाफे बनाना आदि कार्य शामिल हैं। ये गतिविधियां वृद्धों के लिए विशेष उपयुक्त हैं क्योंकि इनमें बहुत अधिक शारिरिक श्रम नहीं करना पड़ता। ऐसे वृद्ध जो असहाय हैं या जिन्हें पारिवारिक उपेक्षा का समना करना पड़ रहा है उन्हें सरकारी और गैर–सरकारी संगठनो द्वारा चलाये जा रहे वृद्ध गृहों में बसेरा मिल रहा है। हमारे देश में वृद्ध–गृहों की संख्या करीब 855 है।

यह सराहनीय कार्य है कि सरकारी और गैर–सरकारी संगठन वृद्धों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं और काफी हद तक वे उनके रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था भी कर देते हैं। वृद्धाश्रमों में रह रहे बुजुर्गों का एक भावनात्मक पहलू भी है। जिस वृद्ध, परिजनों की उपेक्षा के कारण वृद्धाश्रम में रहने को बाध्य हैं तो वहां की सारी सुख–सुविधा के बावजूद उसके मन में एक अव्यक्त वेदना सदैव व्याप्त रहती है। जिन बेटे–बेटियों के लिए युवावस्था में उसने अनेक कष्ट सहे, जिनको उसने अपने खून–पसीने से पाला, आज यदि वे उसकी उपेक्षा करते हैं तो वह वृद्ध सदैव एक अन्तर्वेदना से पीड़ित होता है। मूल आवश्यकता इस बात की है कि समाज की मानसिकता बदली जाय, उसमें वृद्ध जनों की सेवा का नैतिक भाव भरा जाय। अच्छा यही होगा कि वृद्धों की सेवा उनके घर में ही हो, यदि उनके बेटे–बेटियां गरीब हों तो वृद्धों के भरण–पोषण हेतु उन्हें आर्थिक सहायता दी जाय। यदि वृद्धों की संतानें उन्हें समुचित आदर और सम्मान के साथ रखें और श्रद्धायुक्त मन से उनकी सेवा करें तो वृद्ध जन भावनात्मक रूप से भी संतुष्ट और सुखी रहेंगे। जिन बुजुर्गों का दुनिया में कोई नहीं है, वे वृद्धाश्रम में रहें तो उन्हें उतना कष्ट नहीं होगा। अच्छा होगा कि इस जगत का नियन्ता परमेश्वर सब को सदबुद्धि दे और सभी लोग अपने वृद्ध माता–पिता की सेवा सच्ची श्रद्धा से करें। आज आने वाली पीढ़ी भी उनके साथ भी वही व्यवहार करेगी और तब उन्हें असहनीय अन्तर्वेदना झेलना पड़ेगा। अतः सभी लोग वृद्ध माता–पिता की सेवा करके समाज में एक स्वस्थ्य परम्परा को बनाएं रखें तो वृद्धावस्था असहाय व मर्माहत नहीं होगी और हम वास्तव में सभ्य होने का गर्व कर सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. आहूजा, राम, 2000, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
2. शर्मा, जी0 एल0, 2015, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
3. रावत, हरिकृष्ण, 2015, उच्चत्तर समाजशास्त्र विश्वकोष, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
4. महाजन, संजीव, 2012, सामाजिक समस्याएं, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
5. कुमार, एस0 & मलिक, एन0 पी0, 1989, क्रिमिनल मेजर एक्ट्स, नेशलन लॉ एजेंसी, 2 एम0 जी0 मार्ग, इलाहाबाद
6. Sexena, D.P., 2006, Sociology of Agin, Concept Publishing Company, New Delhi
7. Chaudhary, D. Paul, "Aging & the Aged", Inter Indian Publication, New Delhi
8. वाराणसी संस्करण, जनसंदेश टाईम्स, सर्वे रिर्पोट, 13 अगस्त 2013